न्यायालय जिला न्यायाधीश, जयपुर महानगर–प्रथम

पीठासीन अधिकारी : ब्रजेन्द्र जैन

विविध सिविल (उत्तराधिकार) प्रा.पत्र सं. : 21007/2025
सी.एन.आर. नंबर : RJJM010264512025

श्रीमती नीता बज पत्नी स्व. श्री राकेश जैन उर्फ राकेश बज उर्फ राकेश कुमार जैन, उम्र–62 वर्ष, निवासी–42 जैन भवन, विष्णुपुरी, महावीर नगर, टोंक रोड, जयपुर राज0

———प्रार्थिया

बनाम

1. रोनिक बज पुत्र स्व. श्री राकेश जैन उर्फ राकेश बज, उम्र–40 वर्ष, निवासी–42, जैन भवन, विष्णुपुरी, महावीर नगर, टोंक रोड, जयपुर, राज0
2. रितिका जैन पत्नी श्री पीयूष जैन पुत्री स्व. श्री राकेश जैन उर्फ राकेश कुमार बज, उम्र–36 वर्ष, निवासी–ई–14, राम पथ, श्याम नगर, सोडाला, जयपुर
3. आई.डी.बी.आई. बैंक लि0, पता–दुर्लभ निवास, पृथ्वीराज रोड, सी–स्कीम, जयपुर
4. आम जनता।

———विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 372
भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925

उपस्थितिः

1. श्री अब्दुल जब्बार कुरेशी एवं श्री अफजल खान, योग्य अधिवक्तागण वास्ते प्रार्थिया
2. श्री अजित कुमार जैन, योग्य अधिवक्ता वास्ते अप्रार्थी संख्या 1 व 2
3. श्री आशीष तिवाड़ी, योग्य अधिवक्ता वास्ते अप्रार्थी संख्या 3

आदेश दिनांक : 24.07.2026

1. इस आदेश के द्वारा प्रार्थिया श्रीमती नीता बज की ओर से भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 372 के तहत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत याचिका दिनांक 03.10.2025 का निस्तारण किया जा रहा है।

2. प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिया व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पति/पिता श्री राकेश जैन उर्फ राकेश बज उर्फ राकेश कुमार जैन उर्फ राकेश कुमार बज की

निर्वसीयती मृत्यु दिनांक 02.06.2019 को हो गई है तथा मृतक के प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान में प्रार्थिया श्रीमती नीता बज (पत्नी), अप्रार्थी संख्या 1 रोनिक बज (पुत्र), व अप्रार्थी संख्या 2 रितिका जैन (पुत्री) के अतिरिक्त अन्य कोई मौजूद नहीं है। उक्त तथ्यों के आधार पर मृतक श्री राकेश जैन उर्फ राकेश बज उर्फ राकेश कुमार जैन उर्फ राकेश कुमार बज के नाम से संधारित डीमेट खाते में जमा विभिन्न कम्पनियों के शेयर्स की प्राप्ति/अंतरण हेतु प्रार्थिया के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने का निवेदन किया। याचिका के समर्थन में प्रार्थिया श्रीमती नीता बज ने स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

3. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के बाद आम जनता की सूचनार्थ नोटिस जारी किये गये व दैनिक समाचार पत्र में इश्तिहार प्रकाशित कराया गया, ढोल बजाकर मुनादी करवायी गई, लेकिन आम जनता की ओर से कोई एतराज प्रस्तुत नहीं किया।

4. अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा जवाब याचिका प्रस्तुत कर प्रार्थिया के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किए जाने बाबत अनापत्ति होना जाहिर किया।

5. अप्रार्थी संख्या 3 आई.डी.बी.आई. बैंक लि0 द्वारा जवाब याचिका प्रस्तुत कर मृतक राकेश जैन द्वारा अपने डिमेट खाता डी.पी. नंबर–IN-300450 एवं CLIENT ID No.- 11714579 में शेयर्स क्रय करना स्वीकार करते हुए याचिका खारिज किये जाने का निवेदन किया।

6. पक्षकारान के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किए गए :–

1. *क्या प्रार्थिया व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 मृतक राकेश जैन उर्फ राकेश बज उर्फ राकेश कुमार जैन उर्फ राकेश कुमार बज के विधिक वारिसान होने से मृतक के नाम प्रार्थना पत्र की मद संख्या 9 में वर्णित शेयर्स के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अधिकारी हैं ?*

.....प्रार्थिया

2. *अनुतोष ?*

7. उपरोक्त विवाद्यकों के समर्थन में प्रार्थिया की ओर से मौखिक साक्ष्य में ए.ड.1 श्रीमती नीता बज को परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 से प्रदर्श–8 दस्तावेजात पेश कर प्रदर्शित करवाए। अप्रार्थी पक्ष की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना जाहिर किया।

8. बहस अंतिम सुनी गई तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। इस विवाद्यक पर न्यायालय का विनिश्चय निम्न प्रकार से है :–

विवाद्यक संख्या 1 :–

9. इस विवाद्यक को सिद्ध करने का भार प्रार्थिया पर है, इस संबंध में परीक्षित साक्षी ए.ड. 1 श्रीमती नीता बज ने अपने साक्ष्य शपथ पत्र के माध्यम से याचिका में वर्णित तथ्यों की संपुष्टि करते हुए कथन किए गए तथा दस्तावेजी साक्ष्य में अपने पति श्री राकेश जैन का मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड व पासपोर्ट क्रमशः प्रदर्श–1 से 3 व 5, पारिवार राशन कार्ड प्रदर्श–4, उसके पति राकेश जैन के नाम से संधारित आईसीआईसीआई बैंक खाते की पासबुक प्रदर्श–6 एवं स्वयं का आधार कार्ड प्रदर्श–7 पेश कर प्रदर्शित करवाए, जिनके अवलोकन से प्रार्थिया के पति का देहान्त हो जाना तथा प्रार्थीया उक्त मृतक की पत्नी होना प्रकट होती है।

10. जहां तक मृतक स्व. श्री राकेश जैन उर्फ राकेश बज उर्फ राकेश कुमार जैन उर्फ राकेश कुमार बज के नाम से संधारित डीमेट खाते में जमा शेयर्स का प्रश्न है, इस संबंध में पत्रावली पर IDBI Bank Limited द्वारा जारी डीमेट खाते का स्टेटमेंट प्रदर्श–8 पेश कर प्रदर्शित करवाया है, जिसके अवलोकन से स्व. श्री राकेश जैन उर्फ राकेश बज उर्फ राकेश कुमार जैन उर्फ राकेश कुमार बज के नाम से IDBI Bank Limited के यहां संधारित डी–मेट खाता संख्या (DP ID : IN300450, Client Id 11714579) के अकाउंट स्टेटमेंट प्रदर्श–8 के अनुसार जमा विभिन्न कम्पनियों के शेयर्स की दिनांक 27.06.2024 तक होल्डिंग वैल्यू 11,77,585.14 रुपये होना प्रकट होती है।

11. स्व. श्री राकेश जैन के प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान में प्रार्थिया व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के अतिरिक्त अन्य कोई मौजूद नहीं होना तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा जवाब याचिका प्रस्तुत कर प्रार्थिया के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किए जाने में कोई आपत्ति नहीं होना निर्विवादित है। आम जनता की ओर से भी किसी प्रकार का ऐतराज पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में याचिका का अन्य कोई खण्डन पत्रावली पर मौजूद नहीं है। अतः मृतक श्री राकेश जैन के नाम से संधारित डीमेट खाते में जमा विभिन्न कम्पनियों के शेयर्स की प्राप्ति/अंतरण हेतु प्रार्थिया के पक्ष में नियमानुसार उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जाना उचित पाया जाता है। तद्नुसार यह विवाद्यक प्रार्थिया के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

अनुतोष

12. विवाद्यक संख्या 1 के उपरोक्त विवेचनानुसार मृतक श्री राकेश जैन के नाम से संधारित डीमेट खाते में जमा विभिन्न कम्पनियों के शेयर्स की प्राप्ति/अंतरण हेतु प्रार्थिया श्रीमती नीता बज के पक्ष में नियमानुसार उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किए जाने योग्य है।

:: आदेश ::

13. परिणामस्वरूप, प्रार्थिया श्रीमती नीता बज की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि स्व. श्री राकेश जैन उर्फ राकेश बज उर्फ राकेश कुमार जैन उर्फ राकेश कुमार बज के नाम से IDBI Bank Limited के यहां संधारित डी–मेट खाता संख्या (DP ID : IN300450, Client Id 11714579) के अकाउंट स्टेटमेंट प्रदर्श–8 के अनुसार जमा विभिन्न कम्पनियों के शेयर्स की होल्डिंग वैल्यू **11,77,585.14 रुपये (मय लाभांश यदि देय हो)** की प्राप्ति/अंतरण बाबत प्रार्थिया के द्वारा वांछित न्यायशुल्क अदा करने के पश्चात, प्रार्थिया श्रीमती नीता बज के पक्ष में नियमानुसार उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाए। बशर्ते कि प्रार्थिया की ओर से

12,00,000/–रूपये का स्वयं का वचन पत्र एवं इसी राशि का एक जमानतनामा इस आशय का न्यायालय में प्रस्तुत कर प्रमाणित करा दे कि उक्त चल सम्पत्तियों का अन्य दावेदार होने पर वह न्यायालय के आदेशानुसार प्राप्तशुदा संपूर्ण राशि मय ब्याज 9 प्रतिशत की वार्षिक दर से अदा करने को बाध्य होगी।

14. यहां यह स्पष्ट करना समीचीन है कि उक्त उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रार्थीया के इस आवेदन में वर्णित मृतक के ऋण व प्रतिभूति की सीमा तक ही प्रभावी होगा, अन्य किसी चल या अचल सम्पत्ति पर प्रभावी नहीं होगा। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी नहीं किये जाने तक इस आदेश की प्रतिलिपि जारी नहीं की जाए।

(ब्रजेन्द्र जैन)
जिला न्यायाधीश, जयपुर महानगर–प्रथम

15. आदेश लिखाया जाकर आज दिनांक 24.07.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ब्रजेन्द्र जैन)
जिला न्यायाधीश, जयपुर महानगर–प्रथम

SATYA PAL SHARMA

28.07.2026 15:24
"Stenographer Authenticated Document"